



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082025-265183
CG-DL-E-02082025-265183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]
No. 206]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 1 अगस्त 2025
सं. 18 / 2025-26

विषय: वर्ष 2025-26 (अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026) के लिए टीआरक्यू के अंतर्गत भारत से निर्यात हेतु यूरोपीय संघ द्वारा 5,841 मीट्रिक टन चीनी की मात्रा के आवंटन के संबंध में।

फा. सं. 01/91/171/060/एम 23/ईसी/ई-33997—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा वर्ष 2025-26 (अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026) के लिए टीआरक्यू के अंतर्गत भारत से यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात हेतु 5,841 मीट्रिक टन की मात्रा आवंटन करते हैं।

2. दिनांक 20 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 03/2015-20 के अनुसार, टीआरक्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों की प्रकृति' में अधिसूचित शर्तों के अधीन 'निःशुल्क' है।

3. यदि आवश्यक हो, तो यूरोपीय संघ को चीनी के अधिमान्य निर्यात के लिए उद्गम प्रमाणपत्र, पात्रता इकाई और मात्रा के संबंध में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की सिफारिश पर, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुंबई द्वारा जारी किया जाएगा। यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकताओं, यदि कोई हों, का पालन किया जाना जारी रहेगा।

4. यह कोटा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा यूरोपीय संघ को टीआरक्यू वस्तुओं के निर्यात के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संचालित किया जाएगा।

5. अधिसूचना संख्या 20/2015-2020 दिनांक 07 सितंबर, 2015 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 03/2015-2020 दिनांक 20 अप्रैल, 2015 के माध्यम से यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग आवश्यकता का पालन किया जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: वर्ष 2025-26 (अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026) के लिए टीआरक्यू के तहत भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली 5,841 मीट्रिक टन चीनी की मात्रा अधिसूचित की गई है।

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st August, 2025

No. 18/2025-26

Subject: Allocation of quantity 5,841 MT of Sugar by EU for export from India under TRQ for the year 2025-26 (October 2025 to September 2026) -regarding.

F. No. 01/91/171/060/AM23/EC/E-33997—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Director General of Foreign Trade hereby allocates quantity of 5,841 MT for export of Sugar to EU from India under TRQ for the year 2025-26 (October 2025 to September 2026).

2. As per Notification No. 03/2015-20 dated April 20, 2015, export of sugar (HS Code 17010000) to EU under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification.

3. Certificate of Origin, if required, for preferential export of sugar to EU shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai on the recommendation of Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) regarding entity and quantity for which eligible. Other certification requirements, if any, prescribed specifically for the export of sugar to EU would continue to be followed.

4. The quota will be operated by Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi as the implementing agency for export of TRQ items to EU.

5. The reporting requirement as notified vide Notification No. 03/2015-2020 dated April 20, 2015 read with Notification No. 20/2015-2020 dated September 07, 2015 would be followed.

Effect of this Public Notice: The quantity of 5,841 MT Sugar to be exported to EU from India under TRQ for the year 2025-26 (October 2025 to September 2026) has been notified.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.